आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण सत्याहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 81/2011** **श्रीमती सुमित्रा प्रसाद साहा बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 3894/14 सुमित्रा प्रसाद साहा बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 11.3.2014 को पारित आदेश से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 828 दिनांक 19.10.11 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.9.2011 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के द्वारा श्रीमती सुमित्रा प्रसाद साहा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत ककरहट, प्रखंड–दरियापुर की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गई थी: 1. दुकान बंद पाई गयी। 2. 20 किलोग्राम विशेष अतिरिक्त चावल वितरण के दौरान माह अगस्त 2011 का कूपन फाड़ लिया गया। 3. श्री भगवान महतो को पीला कार्ड पर माह जून 2011 से जॉच की तिथि तक अनाज नहीं दिया गया, जबकि विक्रेता के द्वारा उठाव किया गया था। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 735/आपूर्ति दिनांक 15.9.2011 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विक्रेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी थी। उनके मंतव्य के आलोक में विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए वर्णित अनियमितता के आलोक में विक्रेता	

की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत तिथि को अपीलार्थी अपनी दुकान पर निर्धारित समय 1.00 बजे तक वितरण कर रही थी। उस अवधि तक जॉच पदाधिकारी अपीलार्थी की दुकान पर नहीं आए थे। यह भी बतलाया गया कि 20 किलो ग्राम विशेष अतिरिक्त चावल का उठाव कर स्थानीय निगरानी समिति को सूचित कर उसकी देख–रेख में उपभोक्ताओं के बीच बिना कूपन के वितरण किया था। वितरणोपरान्त निगरानी समिति के सदस्यों से वितरण संबंधी प्रमाण अंकित किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया गया कि श्री भगवान महतो के पीला कार्ड पर माह जून 2011 से जॉच की तिथि तक अनाज नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा उठाव किया गया है। आरोपकर्त्ता की पत्नी चन्द्रावती देवी, पति भगवान महतो ने लिखित बयान देकर कहा है कि कूपन विलम्ब से प्राप्त हुआ तथा विकेता के द्वारा माह जून–जुलाई 2011 का भी समान दिया जा रहा था, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं लिया गया। विकेता की कोई गलती नहीं है। इस बात की पुष्टि स्थानीय पूर्व मुखिया ने भी किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 735/आपूर्ति दिनांक 15.9.11 के द्वारा अपीलार्थी सुमित्रा प्रसाद साहा, जन वितरण प्रणाली विकेता, पंचायत–ककरहट, प्रखंड दरियापुर से पूछे गए स्पष्टीकरण में काफी त्रुटि दृष्टिगोचर हो रही है। दिनांक 8.9.11 को अपीलार्थी के साथ सम्बद्ध बिन्देश्वरी राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, सूतिहार की दूकान का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के द्वारा किया गया, जबकि स्पष्टीकरण अपीलार्थी से पूछा गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि जॉच की तिथि को अपराह्न 1.00 बजे तक उनके द्वारा अपनी दूकान खोलकर वितरण कार्य किया गया, जिस समय तक कोई भी जॉच पदाधिकारी उसकी दूकान पर जॉच हेतु नहीं आए। आरोप संख्या 02 के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा अंकित किया गया है कि 20 किलोग्राम विशेष अतिरिक्त चावल वितरण के दौरान माह अगस्त 2011 का कूपन फाड़ लेने का अरोप सरासर गलत है,

SA 81/11

	क्योंकि उक्त अतिरिक्त चावल के लिए अलग से कूपन विभाग के द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। स्थानीय निगरानी समिति को सूचित कर उनकी देख–रेख में सम्बद्ध उपभोक्ताओं के बीच उक्त चावल का वितरण अपीलार्थी के द्वारा किया गया है, जिसकी छायाप्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न किया गया है। आरोप सं0 03 के संबंध में परिवादकर्त्ता भगवान महतो की पत्नी चन्द्रावती देवी के द्वारा शपथ/लिखित बयान दिया गया है कि उन्हें कूपन विलम्ब से प्राप्त हुआ था तथा विक्रेता के द्वारा माह जून–जुलाई 2011 का भी समान दिया जा रहा था, लेकिन पैसे के अभाव में उनके द्वारा खाद्यान्न नहीं लिया गया। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा — (हस्ताक्षर) जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 880 दिनांक 22/8/14

प्रतिलिपि – SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – IV&C पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/14

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/8/14

SA 81/11